

m. Joppo
23/12/17



दिनांक 23-12-2017 को अपर नगर आयुक्त की अध्यक्षता में निगम सभाकक्ष में सम्पन्न के द्वारा सड़क पर अनाधिकृत रूप रखे गये सामानों/ठेला/खोमचा आदि को वापस करने हेतु बैठक की कार्यवाही।

तिथि एवं समय:- दिनांक 23.12.2017 अपराह्न 4.00 बजे।

बैठक का स्थान :- अपर नगर आयुक्त, कार्यालय कक्ष।

उपस्थिति:-

1. श्री दिव्यांशु झा, अपर नगर आयुक्त, राँची नगर निगम, राँची।
2. श्री संजय कुमार, उप नगर आयुक्त, राँची नगर निगम, राँची।
3. डॉ० किरण कुमारी, सहायक लोक स्वास्थ्य पदाधिकारी, राँची नगर निगम, राँची।

बैठक की कार्यवाही

अपर नगर आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में कमिटी के सदस्यों ने इन्फोर्समेन्ट सेल द्वारा अतिक्रमण हटाने के दौरान जब्त सामानों (ठेला/खोमचा/इत्यादि)को वापस प्राप्त करने के लिए दावेदारों से दिनांक 22/12/2017 तक प्राप्त कुल 28 (अठ्ठाईस) आवेदनों का अवलोकन किया गया एवं यह निर्णय लिया गया कि भण्डारपाल, बकरी बाजार जब्ती सूचीनुसार अथवा स्टोर में जब्त की गई सामानों की सूची से आवेदनों का मिलान करते हुए तथा फाईन की राशि जमा कर दी गई है यह सुनिश्चित करते हुए सामानों को वापस करेंगे तथा Release Report कमिटी की अगली बैठक में उपलब्ध करना सुनिश्चित करेंगे।

सामानों को वापस करने से पूर्व आवेदकों से पहचान पत्र की कॉपी, मोबाईल नं० एवं पुनः ऐसी पुनर्वृत्ति नहीं हो इसका एक लिखित Undertaking भी लेना सुनिश्चित करेंगे।

तत्पश्चात् धन्यवाद के साथ बैठक की समाप्ति की घोषणा की गई।

K. J. J.
23/12/17
सहायक लोक स्वा० पदाधिकारी
राँची नगर निगम, राँची।

उप नगर आयुक्त
राँची नगर निगम, राँची।

अपर नगर आयुक्त
राँची नगर निगम, राँची।

श्रीमती सुनी
23/12/17